

न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

वाद सं०- एम०- 13/2024-25

वाद का प्रकार- धारा- 126 भा०ना०सु०सं०

झारखण्ड सरकार (द्वारा थाना प्रभारी, चैनपुर थाना) -बनाम- अफरोज खान वगै०

आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के अप्राथमिकी काण्ड सं०- 22/2025 एवं चैनपुर थाना अप्राथमिकी काण्ड सं०- 05/2025 दिनांक- 03.06.2025 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में धारा- 126 भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की कार्यवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष 1. अफरोज खान, पे० खादिम खान, सा०- चैनपुर 2. जावेद खान, पे० कलाम खान, सा० आनन्दपुर (हुकड पहाड़) 3. फिरोज खान, पो० समीर खान, सा० लंगड़मोड 4. जमरुद्दीन खान, पे० शेख खान, सा० चैनपुर 5. कलाम खान, पे० कमरुद्दीन अंसारी, सा० बरवेनगर 6. इम्तियाज खान, पे० महत खान, सा० बरवेनगर 7. अयूब खान, पे० स्व० खेई खान, सा० बरवेनगर 8. फरदीनन्द तिकी, पे० पास्कल तिकी 9. रोबर्ट तिकी, पे० स्व० निकोलस तिकी, दोनो सा०- डहुडगाँव 10. मुनाजीर खान, पे० मोबीन खान 11. रशीद खान, शेर खान, खा० जमगाई 12. सुफियान खान, पे० दिलदार खान, सा० जमगाई 13. कादिर खान, पे० रशीद खान, सा० जमगाई 14. संतोष केशरी, पे० यमुना प्रसाद केशरी, सा० चैनपुर 15. संदीप भगत, पे० राजेशरण भगत, सा० एम०एल०ए० रोड 16. अभिषेक केशरी, पे० अनिल केशरी, सा० प्रेमनगर 17. शिवम केशरी, पे० अवधेश केशरी, सा० एम०एल०ए०रोड सभी थाना-चैनपुर, जिला- गुमला को ई-उल-जुहा (बकरीद) 2025 में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। द्वितीय पक्षकारो द्वारा न्यायिक कार्यावधि के संपूर्ण काल में अपने पक्ष में तथ्यों का प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया परन्तु शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु Bond Down भी किया गया है। चूंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा- 126 के तहत विनिर्दिष्ट समयावधि पूर्ण होने के कारण इस वाद की कार्यवाही इस हिदायत के साथ समाप्त की जाती है कि द्वितीय पक्षकार लोक परिशांति व विधि-व्यवस्था बनाए रखेंगे।

अतः इस वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशांधित


अनुमण्डल पदाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।


अनुमण्डल पदाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।